राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही(राजस्थान)

क्रमांक / सामान्य / 2020 / 40 दिनांक : 19.1.2020

प्रेषित :–

रजिस्ट्रार महोदय,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिन्सीपल बैंच,
नई दिल्ली

विषय :– ओरिजनल प्रार्थना पत्र संख्या 757 / 2019 श्री मनमोहन मिश्रा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री मनमोहन मिश्रा , न्यू देलवाड स्कीम, माउण्ट आबू द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत ओरिजनल प्रार्थना पत्र संख्या 757 / 2019 में अंकित तथ्यों के संबंध में आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत से रिपोर्ट प्राप्त की गई । आयुक्त, नगरपालिका,आबूपर्वत की रिपोर्ट अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

क्र.स.	प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य	तथ्यात्मक प्रत्युत्तर
1.	मनमोहन मिश्रा द्वारा एन.जी.टी. में प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आबूपर्वत ईको–सेन्सिटिव जोन के समस्त प्रकरणों के नियत्रंण हेतु मोनेटरिंग कमेटी का गठन किया गया था परन्तु बिल्डिंग बायॅलॉज 2019 के गठन के समय मोनेटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नही किये गये।	माउण्ट आबू ईको–सेन्सिटिव जोन का जोनल मास्टर प्लान केन्द्रीय पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय से स्वीकृति के पश्चात अधिसूचित किया गया था। जिसमें नगरीय विकास एवम् आवासन विभाग के आदेश दिनांक 17.05.2016 के अनुसार माउण्ट आबू के लिये भवन विनियम तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक डी.एल.बी. के सयोजन में एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा माउण्ट आबू ईको–सेन्सिटिव के भवन विनियम तैयार किये गये। **(संलग्न आदेश दिनांक 17.05.2016)**
2.	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, आबूपर्वत ने अपने पत्र दिनांक 08.02.2019 में जो सुझाव बॉयलॉज के गठन हेतु दिये गये थे। उन सुझावों को बायॅलॉज बनाते समय दर किनार किया गया। चूंकि माउण्ट आबू ईको–सेन्सिटिव जोन एवम् वन क्षेत्र का अत्यधिक क्षैत्रफल है। इसके फलस्वरूप बिल्डिंग बायॅलॉज को उप वन संरक्षक की अनापत्ति के पश्चात ही जारी किया जाना था ।	शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक 4405 दिनांक 27.02.2019 के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवम् पर्यावरण मंत्रालय विभाग राजस्थान जयपुर को भवन विनियम के संबंध में विभागीय टिप्पणी प्रेषित किये जाने का पत्र जारी किया गया । तत्पश्चात सभी संबंधित विभागों की बैठक ली जाकर बायॅलॉज बनाये गये थे। **(संलग्न पत्र कमांक 4405 दिनांक 27.02.19 व पत्रांक 285 दिनांक 08.02. 2019 की प्रति।)**
3.	बिल्डिंग बायॅलॉज 2019 को स्थानीय निकाय एवम् नगरपालिका, पंचायत एवम् यू.आई.टी. द्वारा नवनिर्माण की पत्रावली एवम् निर्माण की अनुमति का प्रावधान रखा गया है। चूंकि स्थानीय निकाय पर राजनैतिक दबाव रहता है। जिससे अवैध एवम् नये	भारत सरकार के वन एवम् पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 25.06.2009 के अनुसार मास्टर प्लान तैयार किया जाकर बिल्डिंग बॉयलॉज बनाये जाने थे। माउण्ट आबू में वर्ष 2015 में मास्टर प्लान पारित होने के पश्चात माउण्ट आबू ईको–सेन्सिटिव जोन के बिल्डिंग बॉयलॉज

	निर्माण को बढावा दिया जाता है। केवल मोनेटरिंग कमेटी को ही नये निर्माण को स्वीकृत करने हेतु प्राथमिकता दी जावे। चूंकि स्थानीय निकाय को समस्त अधिकार देने से वन्यजीव एवम् माउण्ट आबू को नुकसान है।	दिनांक 09.03.2019 को अधिसूचित किये गये थे जो प्रभावी है। नगरपालिका द्वारा वन्य क्षैत्र में निर्माण संबंधी कोई भी स्वीकृति जारी नही की जाती है। वन्यक्षैत्र में वन विभाग के द्वारा निरन्तर निगरानी की जाती है।
4.	बिल्डिंग बायॅलॉज 2019 के अन्तर्गत बिल्डिंग की ऊचाई प्रथम दृष्टया जोनल मास्टर प्लान के विपरित दर्शाती है।	इस संबंध में नगरपालिका द्वारा जोनल मास्टर प्लान के अनुरूप (जोनल मास्टर प्लान पृष्ठ संख्या XI-23) ही ऊचाई का निर्धारण किया जाकर भविष्य में निर्माण स्वीकृतिया जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।
5.	जोनल मास्टर प्लान की दिशा निर्देशों में 50 मीटर की परिधि पर निर्माण निषेध क्षैत्र बताया गया है जबकि उक्त 50 मीटर को बढाकर 100 मीटर किया जाना है।	जोनल मास्टर प्लान में प्राकृतिक जल निकायों, जल चैनलों, आर्द्र भूमि (वैट लेण्ड) नाला आदि से 50 मीटर परिधि क्षैत्र में निर्माण निषेध क्षैत्र 50 मीटर दर्शाया गया था। बिल्डिंग बॉयलॉज में भी बिन्दु संख्या 7.2.13 (3) में 50 मीटर का ही प्रावधान किया गया है। जिसमें जोनल मास्टर प्लॉन के निर्देशानुसार पालना की गई।
6.	माउण्ट आबू ईको–सेन्सिटिव जोन के बिल्डिंग बायॅलॉज में वनक्षैत्र सीमा से 30 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित क्षैत्र दर्शाया गया है जिसे बढाकर 75 मीटर किया जाना चाहिये।	जोनल मास्टर प्लान में वन क्षैत्रों से से 30 मीटर परिधि क्षैत्र में निर्माण कार्य के लिये निषेध क्षैत्र 30 मीटर दर्शाया गया था। बिल्डिंग बॉयलॉज में भी बिन्दु संख्या 7.2. 13 (4) में 30 मीटर का ही प्रावधान किया गया है। जिसमें जोनल मास्टर प्लॉन के निर्देशानुसार पालना की गई।
7.	बिल्डिंग बायॅलॉज 2019 ईको–सेन्सिटिव जोन माउण्ट आबू के अन्तर्गत कृषि भूमि पर चरम स्तर से व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है जबकि 25 जून 2009 में हरित क्षैत्र का किसी प्रकार से भू उपयोग परिवर्तन नही किया जा सकता है।	नगरपालिक, आबूपर्वत के द्वारा दिनांक 25.06.2009 के पश्चात कोई भी कृषि भूमि का व्यवसायिक गतिविधियों हेतु भू उपयोग परिवर्तन नही किया गया है। वर्तमान में कृषि भूमि से अन्य भू उपयोग परिवर्तन का क्षैत्राधिकार राज्य सरकार मे निहित है।

संलग्न :– उक्तानुसार ।

भवदीय,

जिला कलक्टर, सिरोही

ATR/Board

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र.प. 18(23)नविवि/ना.आबू(भवन विनियम)/2016 जयपुर, दिनांक : 17 MAY 2016

आदेश

माउण्ट आबू ईको–सेंसिटिव जोन का जोनल मास्टर प्लान केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति पश्चात् अधिसूचित किया गया है।

माउण्ट आबू के जोनल मास्टर प्लान–2031 के प्रावधानों, मॉडल भवन विनियम एवं माउण्ट आबू के पूर्व में प्रचलित भवन विनियमों आदि को ध्यान में रखते हुए माउण्ट आबू के लिए भवन विनियम तैयार करने हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाता है।

1. वरिष्ठ नगर नियोजक (डीएलबी) – संयोजक
2. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर – सदस्य
3. सचिव, नगर विकास न्यास, आबूरोड – सदस्य
4. आयुक्त नगर पालिका, माउण्ट आबू – सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा एक माह में माउण्ट आबू के भवन विनियम तैयार कर मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

16/5/16
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, आबू रोड।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
8. आयुक्त, नगर पालिका मण्डल, माउण्ट आबू।
9. रक्षित पत्रावली।

16/5/16
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम,

प्रतिलिपी प्रमाणित

COMMISSIONER
MUNICIPAL BOARD
MOUNT ABU (RAJ.)

1467
6/3/19

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2228403, ईमेल- slp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.59 एसटीपी /डीएलबी/Mount Abu_Bbl( )/16/4465 दिनांक 27.02.19

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान,
जयपुर।

विषयः- माउण्ट आबू (ईको-सेन्सिटिव जोन) भवन विनियम, 2018 के संबंध में

6/3

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माउण्ट आबू (ईको-सेन्सिटिव जोन) भवन विनियम, 2018 (प्रारूप) के संबंध मे दिनांक 13.02.2019 प्रातः 11:00 बजे बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये थे:-

- निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी, माउण्ट आबू।
- सहायक वन संरक्षक, प्रतिनिधि उप वन संरक्षक (वन्यजीव), माउण्ट आबू।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
- सचिव, नगर विकास न्यास, आबू रोड।
- आयुक्त, नगर पालिका, माउण्ट आबू।

बैठक में माउण्ट आबू (ईको-सेन्सिटिव जोन) भवन विनियम, 2018 के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई तथा उप वन संरक्षक, वन्य एवं जीव, माउण्ट आबू द्वारा भवन विनियमों के संबंध में प्रेषित पत्र व टिप्पणी का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया था कि उपवन संरक्षक द्वारा भवन विनियमों के संबंध में पर्यावरण से संबंधित बिन्दुओं पर सामान्य प्रवृति के सुझाव प्रेषित किये गये है, जो कि जोनल मास्टर प्लान से संबंधित है, तथा राज्य सरकार द्वारा भवन विनियमों के संबंध में गठित समिति द्वारा इको सेन्सेटिव जोन से संबंधित बिन्दुओं पर परीक्षण पश्चात् भवन विनियमो का प्रारूप तैयार किया गया है।

बैठक मे पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार से कोई अधिकारी उपस्थित नही हुये। अतः भवन विनियमों को लागू करने के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् इन भवन विनियमो पर पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार से टिप्पणी व अनापत्ति लिये जाने हेतु भवन विनियम की प्रति वन एवं पर्यावरण विभाग को प्रेषित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के क्रम मे अनुमोदित प्रारूप माउण्ट आबू (ईको-सेन्सिटिव जोन) भवन विनियम, 2018 तथा उपवन संरक्षक, माउण्ट आबू की आपत्ति की प्रति संलग्न कर लेख है, कि भवन विनियम के संबंध मे विभागीय टिप्पणी प्रेषित किये जाने का श्रम करें, ताकि माउण्ट आबू (ईको-सेन्सिटिव जोन) भवन विनियम, 2018 को लागू किये जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

26/2/19

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, आबू पर्वत (सिरोही)

क्रमांक : एफ( )विविध / उवसं / 2018–19 / २८५ दिनांक ४-३-१९

प्रति,

जिला कलेक्टर महो0,
सिरोही, राज0।

विषय :– माउण्ट आबू नगरपालिका एवं पंचायत क्षेत्र में माउण्ट आबू बिल्डिंग बायलॉज लागू करने के संबंध में।

प्रसंग :– आप कार्यालय पत्रांक : 72 दिनांक : 09.01.2018

—00—

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि स्वायत्त शासन विभाग, राज0 निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0–जयपुर के पत्र क्रमांक : 3809 दिनांक : 03.10.2018 द्वारा आबू शहर के लिए (Mount Abu ESZ) भवन विनिमय 2018 तैयार किया जाकर नगरपालिका मण्डल, आबू पर्वत को प्रेषित किया गया एवं निर्देशित किया गया कि नगरपालिका अपने स्तर से वन एवं पर्यावरण विभाग, राज0–जयपुर के स्थानीय स्तर के संबंधित अधिकारियों के माध्यम से सक्षम स्तर पर अनुमोदन करावें।

दिनांक 03.10.2018 को प्राप्त पत्र के क्रम में नगरपालिका मण्डल, आबू पर्वत के पत्रांक दिनांक 04.10.2018 के क्रम में जिला कलक्टर, सिरोही का पत्रांक : 2108 दिनांक 01.10.2018 से तथा आयुक्त नगरपालिका मण्डल, आबू पर्वत को सूचित किया गया कि आबू पर्वत (ESZ) के तैयार शुदा भवन विनिमय 2018 की प्रति एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0–जयपुर के पत्र दिनांक 03.10.2018 का अनुमोदन गठित निगरानी समिति के समक्ष [illegible] होगा। इस निगरानी समिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता भी सदस्य है, इसलिए बिल्डिंग बायलॉज के संबंध में सुझाव निम्नानुसार है :–

1. माननीय अध्यक्ष पार्लियामेन्ट्री स्टैण्डिंग कमेटी ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, फोरेस्ट एण्ड क्लाइमेट चेंज द्वारा बैठक दिनांक 03.05.2017 में माउण्ट आबू इको सेन्सिटिव जॉन के संदर्भ में निम्न टिप्पणिया की गई है :–
   a. Road Widening in Mount abu must not be carried out.
   b. " At the cost of environment, no work should be carried out in the eco sensitive zone of Mount Abu Wild Life Sanctuary (WLS)." इसलिए ई0एस0जे0 नोटिफिकेशन, 2009 की कम्पलाइन्स को ध्यान में रखते हुए ही बिल्डिंग बॉयलॉज लागू किये जावे।
2. बिल्डिंग बॉयलॉज में कृषि भूमि तथा वाणिज्य भूमि (अकृषि भूमि) के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, कृषि भूमि तथा अकृषि भूमि पर किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं संचालित की जावेगी।
3. कृषि भूमि का वाणिज्यिक उपयोग में नहीं ली जा सकती तथा न ही कृषि भूमि को [illegible] में रूपान्तरित की जा सकेगी।
4. भवन विनिर्माण, मरम्मत आदि की अनुज्ञा तथा स्वीकृति मॉनिटरिंग कमेटी में ही स्वीकृति की जानी चाहिए ना कि नगरपालिका बोर्ड आदि में।

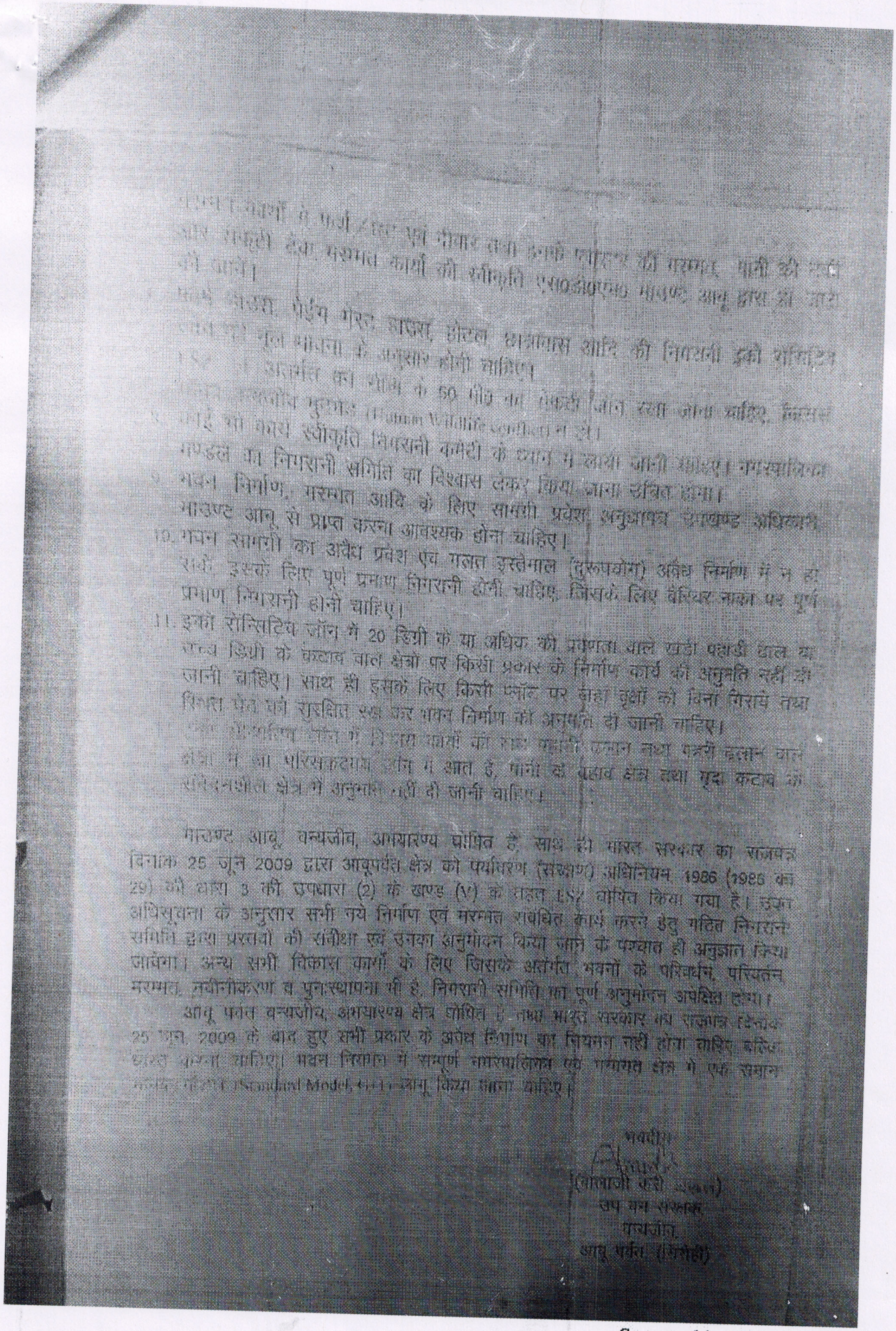

[illegible] भवनों में फर्श / छत एवं दीवार तथा इनके प्लास्टर की मरम्मत, पानी की [illegible] और सफेदी [illegible] मरम्मत कार्यों की स्वीकृति एस0डी0एम0 माउण्ट आबू द्वारा दी जावे की जावे।

[illegible] होटल, गेस्ट हाउस, होटल, छात्रावास आदि की निगरानी इको सेन्सिटिव [illegible] मूल योजना के अनुसार होनी चाहिए।

[illegible] अतर्गत का सीमा के 50 मीटर का [illegible] जोन रखा जाना चाहिए, जिससे [illegible] मानवीय मुठभेड़ (Human Wildlife conflict) न हो।

[illegible] कोई भी कार्य स्वीकृति निगरानी कमेटी के ध्यान में लाये जानी चाहिए। [illegible] मण्डल या निगरानी समिति का विश्वास लेकर किया जाना उचित होगा।

9. भवन निर्माण, मरम्मत आदि के लिए सामग्री प्रवेश अनुज्ञापत्र उपखण्ड अधिकारी माउण्ट आबू से प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए।

10. भवन सामग्री का अवैध प्रवेश एवं गलत इस्तेमाल (दुरूपयोग) अवैध निर्माण में न हो, [illegible] इसके लिए पूर्ण प्रमाण निगरानी होनी चाहिए, जिसके लिए [illegible] नाका पर पूर्ण प्रमाण निगरानी होनी चाहिए।

11. इको सेन्सिटिव जोन में 20 डिग्री के या अधिक की प्रवणता वाले खड़ी पहाड़ी ढाल या [illegible] डिग्री के कटाव वाले क्षेत्रों पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही इसके लिए किसी प्लाट पर खड़े वृक्षों को बिना गिराये तथा [illegible] पेड़ पौधे सुरक्षित रख कर भवन निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए।

[illegible] इको सेन्सिटिव जोन में [illegible] [illegible] उत्थान तथा पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्र में जो परिस्थितियां जोन में आते हैं, पानी के बहाव क्षेत्र तथा मृदा कटाव के संवेदनशील क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

माउण्ट आबू वन्यजीव अभयारण्य घोषित है, साथ ही भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 25 जून 2009 द्वारा आबूपर्वत क्षेत्र को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (V) के तहत ESZ घोषित किया गया है। उक्त अधिसूचना के अनुसार सभी नये निर्माण एवं मरम्मत संबंधित कार्य करने हेतु गठित निगरानी समिति द्वारा प्रस्तावों की संवीक्षा एवं उनका अनुमोदन किया जाने के पश्चात ही अनुज्ञात किया जायेगा। अन्य सभी विकास कार्यों के लिए जिसके अंतर्गत भवनों के परिवर्धन, परिवर्तन, मरम्मत, नवीनीकरण व पुनःस्थापना भी है, निगरानी समिति का पूर्ण अनुमोदन अपेक्षित होगा।

आबू पर्वत वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र घोषित है तथा भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 25 जून 2009 के बाद हुए सभी प्रकार के अवैध निर्माण का नियमन नहीं होना चाहिए बल्कि [illegible] करना चाहिए। भवन निर्माण में सम्पूर्ण नगरपालिका एवं पंचायत क्षेत्र में एक समान [illegible] (Standard Model) [illegible] आबू किया जाना चाहिए।

भवदीय

(तालाजी [illegible] [illegible])
उप वन संरक्षक
वन्यजीव
आबू पर्वत (सिरोही)

Scanned by CamScanner